भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4102

उत्तर देने की तारीख : 12.08.2026

वक्फ़ संपत्तियों का संरक्षण और विकास

4102. श्री अबू ताहेर खान:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वक्फ़ बोर्ड के रिकार्ड के अनुसार पश्चिम बंगाल में वक्फ़ संपत्तियों के कुल क्षेत्रफल और संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) अतिक्रमण को रोकने और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए वक्फ़ संपत्तियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वक्फ़ परिसंपत्तियों के डिजिटलीकरण और प्रबंधन के लिए राज्य वक्फ़ बोर्ड को कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) पश्चिम बंगाल राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता एवं विकास (उम्मीद) पोर्टल पर दिनांक 07.08.2026 तक कुल 1,15,551 वक्फ संपत्तियां पंजीकृत की गई हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 81,841 एकड़ है।

(ख) UMEED अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अनुसार, किसी राज्य में स्थित सभी औकाफ का सामान्य अधीक्षण उस राज्य के लिए स्थापित वक्फ बोर्ड अथवा उसी राज्य द्वारा किया जाएगा तथा वक्फ बोर्ड का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करे कि उसके अधीक्षणाधीन आने वाले औकाफ का अनुरक्षण, नियंत्रण एवं अभिशासन उपयुक्त रूप से हो तथा उनकी आय का समुचित उपयोग उन्हीं उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए किया जाए जिनके लिए उन औकाफों की स्थापना की गई थी अथवा जिनके लिए वे अभिप्रेत थे।

UMEED अधिनियम, 1995 की धारा 54 में वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। इस अधिनियम के अनुसार, राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा जांच कर सकते है और यदि वे इस बात से संतुष्ट हो कि संबंधित संपत्ति वक्फ संपत्ति है और उस पर अतिक्रमण किया गया है, तो वे ऐसे अतिक्रमण को हटाने का आदेश प्राप्त करने के लिए अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे

आवेदन की प्राप्ति पर, अधिकरण, कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, जिस व्यक्ति के विरूद्ध आवेदन किया गया है, उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, वक्फ संपत्ति से निकालने का आदेश पारित कर सकता है।

UMEED अधिनियम, 1995 की धारा 3-ख(1) के प्रावधानों के अनुरूप, UMEED केंद्रीय पोर्टल-2025 पर वक्फ संपत्तियों के विवरण के अपलोड, सत्यापन एवं पुष्टिकरण की प्रक्रिया प्रगति पर है। तद्नुसार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसे अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए वक्फ संपत्तियों के उपयोग से संबंधित जानकारी, डेटा अपलोड एवं पुष्टिकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सुनिश्चित की जा सकेगी।

(ग) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य वक्फ बोर्ड को वक्फ परिसंपत्तियों के डिजिटलीकरण एवं प्रबंधन सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए कुल 49.25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत एवं जारी की गई है।
